

शासकीय योजनाओं से अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन (धार जिले के विशेष संदर्भ)

शोध—निर्देशिका

डॉ. सुधा पाण्डेय

आचार्य

अर्थशास्त्र, विभाग

माधव विश्वविद्यालय पिण्डवाड़ा (सिरोही) राजस्थान

शोधार्थी

रमेश मुझाल्दा

अर्थशास्त्र, विभाग

मध्य प्रदेश का धार जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस जिले में मध्यप्रदेश शासन एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की शासकीय योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस जिले के अंतर्गत अनेक ग्रामीण क्षेत्र आते हैं जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही शासकीय योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है जो कि प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर दिखाई दे रहा है।

धार जिले में शासकीय योजनाओं का आंकलन :—

धार जिले में अनेक प्रकार की नवीन योजनाएं संचालित हो रही है, जिसके माध्यम से इन क्षेत्र में आर्थिक विकास हो रहा है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के लोग निवास करते हैं, लेकिन धार जिले में अनुसूचित जनजाति बहुल्य होने के कारण इनकी जनसंख्या अधिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी तथा साफ—सफाई, पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सहकारिता आवश्यक है, विशेष रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में इस प्रकार ग्रामीण विकास, विकास और गरीब उन्मूलन के लिए एक एकीकृत अवधारणा है, जिसकी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता रही है। किसी भी अर्थतंत्र की प्रगति के लिए ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण होता है, भारत में ग्रामीण विकास की गति चिंता का विषय है। इसके अंतर्गत आने वाले ग्रामीण विकास अभी भी बहुत पीछे है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी :—

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्यप्रदेश में प्रारंभ की गई थी। वर्तमान समय में प्रदेश के सभी जिलों में योजना संचालित है। इस योजना में ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। मांग

किये जाने के 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराये जाने की गारंटी होती है। ग्रामीण क्षेत्र के परिवार के वयस्क सदस्य के मांगने पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के अकशुल मजदूरी के लिये रोजगार की गारंटी दी जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :—

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुर्नगठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 01.04.2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना शामिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेश, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना कई कार्य शामिल है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना :—

पूर्व में संचालित स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कौशल उन्नयन विशेष परियोजना को परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लागू की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की अवधि अधिकतम 3 वर्ष की होती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिले शामिल हैं। कौशल उन्नयन अंतर्गत 15–35 वर्ष के ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को विभिन्न व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाकर कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं को औपचारिक संस्थाओं में जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर नियोजित किया जा रहा है।

इंदिरा आवास योजना

आवास मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गयी है। आवासों का निर्माण स्वयं हितग्राही द्वारा

किया जाता है। हितग्राहियों को राशि स्टेट नोडल एकाउण्ट से एफ.टी.ओ. द्वारा सीधे इनके खातों में उपलब्ध करायी जाती है। आवास के निर्माण के साथ-साथ शौचालय बनाया जाना अनिवार्य होता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :—

गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना बिना अच्छी सड़कों के करना संभव नहीं होता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक ग्रामों को बारामासी सड़कों से जोड़ा जाए। अतः भारत सरकार द्वारा 25.12.2000 को 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों तथा आदिवासी क्षेत्रों एवं मार्च 2011 में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

उपलब्ध साहित्य का अध्ययन :—

प्रस्तुत शोध अध्ययन धार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं के कारण उनके आर्थिक स्थिति के कारण अध्ययन में विभिन्न समय में किये गये शोध साहित्य का अध्ययन शामिल।

सिंह, 1986 ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की तलाश करने वालों में सबसे गरीब लोगों की सहायता करना शामिल है ताकि ग्रामीण विकास के अधिक लाभों की मांग की जा सके और गरीबी को नियंत्रित किया जा सके। इस समूह में छोटे पैमाने के किसान, काश्तकार और भूमिहीन शामिल हैं। इन्होनें अपने शोध में शामिल किया है।

त्रिपाठी, 1988 के अनुसार ग्रामीण विकास गतिविधि का एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें कृषि उत्पाद वृद्धि, आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचों का विकास, ग्राम नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता और संचार आदि शामिल किया गया हैं।

शोध समस्या का चयन

धार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ऐसे कई प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र दिखाई दिये हैं जिनमें आज भी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण लोगों अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

1. ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसका अध्ययन करना।
2. शासकीय योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हुई है, उसके कारणों का पता करना।
3. अनुसूचित जनजाति समुदाय में शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनके कारणों का पता लगाना।

अध्ययन विधि :—

1. अध्ययन का क्षेत्र

मध्यप्रदेश के धार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं का अध्ययन किया गया है।

2. अध्ययन की इकाई :—

ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं को अध्ययन की इकाई के रूप में रखा गया है।

3. निर्देशन विधि :—

मध्यप्रदेश के धार जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं का अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 60 ग्रामीण उत्तरदाताओं को चयनित किया गया।

आंकड़ों का संकलन

शासकीय योजनाओं से संबंधित अध्ययन को आधार मानकर अध्ययन के लिए आंकड़ों को दो माध्यम से संकलित किया गया है। व्यक्तिगत सर्वेक्षण के माध्यम से अवलोकन किया गया है। द्वितीयक स्त्रोतों के अंतर्गत प्रकाशित स्त्रोतों का अध्ययन किया गया है तथा भारत

सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा समय-समय पर प्रकाशित शासकीय योजनाओं से संबंधित पत्र-पत्रिकाओं एवं इंटरनेट आदि के माध्यम से आँकड़ों को प्राप्त किया गया है।


तालिका क्र. 1

आर्थिक स्थिति में परिवर्तन

स.क्र.	स्थिति (परिवर्तन)	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	40	66.7
2	नहीं	20	33.3
	योग	60	100

स्रोत :- प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर

तालिका क्र. 1 से स्पष्ट होता है कि धार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाली शासकीय योजनाओं के कारण आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इस तथ्य को मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 40 है, एवं 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनके गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाली शासकीय योजनाओं के कारण आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है।




तालिका क्रं. 2

शासकीय योजनाओं से आपके जीवन में बदलाव

संख्या	प्रतिशत
हाँ	70
नहीं	30
कुल योग	100

स्रोत :- प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर

उपरोक्त तालिका क्रं. 00.02 से स्पष्ट होता है कि धार जिले के विभिन्न ग्रामीण का मानना है कि शासकीय योजनाओं से आपके जीवन में अनेक बदलाव आये हैं, इस तथ्य को मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 42 है, लेकिन 18 उत्तरदाताओं का मानना है कि शासकीय योजनाओं से उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है।




तालिका क्रं. 3

शासकीय योजनाओं से लाभ

स.क्र.	स्थिति (परिवर्तन)	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	44	73.3
2	नहीं	16	26.7
	कुल योग	60	100

स्रोत :— प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर

उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि धार जिले के विभिन्न ग्रामों में स्थित ग्रामीण जनों का मानना है कि शासकीय योजनाओं का लाभ उनके द्वारा समय—समय पर लिया जाता है, इस तथ्य को मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 44 है, लेकिन 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनके द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ समय—समय पर नहीं लिया जाता है।



अतः कहा जा सकता है कि धार जिले के ग्रामीण जनों के द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ समय—समय पर लिया जाता है।


तालिका क्रं. 4

ग्राम पंचायत में शासकीय योजनाओं की जानकारी

स.क्र.	स्थिति (परिवर्तन)	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	38	75
2	नहीं	22	25
	कुल योग	60	100

स्रोत :— प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर

उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि धार जिले के विभिन्न ग्रामों में स्थित ग्रामीण जनों का मानना है कि ग्राम पंचायत में शासकीय योजनाओं की जानकारी उनको दी जाती है, इस तथ्य को मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 38 है, वहीं 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें ग्राम पंचायत में शासकीय योजनाओं की जानकारी नहीं दी जाती है।



अतः कहा जा सकता है कि धार जिले के ग्रामीण जनों को ग्राम पंचायत में शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जाती है।

निष्कर्ष

लघु शोध के माध्यम से कुछ निष्कर्ष सामने आये जो कि इस प्रकार है :—

1. जिले में शासकीय योजनाओं के कारण अनेक ग्रामीण जनों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला है।
2. शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनों के द्वारा बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है, जिसके कारण आज इनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव दिखाई दे रहा है।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए।
4. वर्तमान समय में ग्रामीणजनों में शासकीय योजनाओं के कारण जागृति आ रही है। जो इस प्रकार है।
5. ग्रामीणजनों के द्वारा कृषि क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं का लाभ अनेक प्रकार से दिया जा रहा है।

सुझाव

1. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक मात्रा में कृषि क्षेत्रों में ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए जिससे निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर के ग्रामीण जनों के द्वारा उस योजना का लाभ ले सके।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ग्रामीण स्तर पर उद्योग धन्धों को स्थापित करना चाहिए। हर ग्रामीण क्षेत्र में अनेक प्रकार के उद्योग धन्धे होने से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव दिखाई देगा और उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बदलती नजर आयेगी।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं के उपयोग के लिए हर एक सप्ताह में प्रशिक्षण का कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण जन उस कार्यक्रम में भाग लेकर संबंधित योजना का उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है और आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से किस प्रकार का लाभ मिल सकता है आदि की जानकारी नाटक के रूप में भाषण के रूप एवं अन्य माध्यमों के द्वारा दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Prd.mp.gov.in/Panchparmashwar/public/janpadwisesummary.aspx?districtd=25
2. ग्रामीण विकास एवं रोजगार अध्याय 12 के अनुसार आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. Bajpai, A. (1997). Panchayati Raj and Rural Development. Delhi, India: Sahitya Prakashan. Chambers